

## राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ

### प्रलिस के लयि:

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय (SC), संवधान का अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, संवधान का अनुच्छेद 31A

### मेन्स के लयि:

राज्य के वधियकों, सरकारी नीतियों तथा वभिन्न कषेत्रों में वकिस के लयि हस्तकषेप और उनकी रूपरेखा तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर राज्यपाल की शक्तियाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यो?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने कहा है कजिब राज्यपाल कसिी वधियक पर सहमत रोकता है तो उसके लयि [संवधान के अनुच्छेद 200](#) में उल्लखित वशिषिट कार्रवाई का पालन करना अनविर्य है ।

- अनुच्छेद 200 का मुख्य पहलू यह है कयिह राज्यपाल को सहमत रोकने के अपने कारणों के बारे में सूचति करने तथा वधियक को वधियक पर पुनर्वचिर करने के लयि प्रेरति करने का आदेश देता है ।

## सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- यदकौई राज्यपाल कसिी वधियक को मंजूरी देने से इनकार करता है, तो उसे [अनुच्छेद 200 का अनुपालन करना होगा](#) ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कयिदकौई [राज्यपाल कसिी वधियक पर सहमत रोकने का फैसला करता है](#) तो उसे वधियक को पुनर्वचिर के लयि वधियक को वापस करना होगा ।
- वधियक के पुनर्मूल्यांकन के लयि वधियक को आवश्यकता को संप्रेषति करने के आवश्यक कदम के बनिा राज्यपाल द्वारा सहमत को रोकना [संवधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है](#) ।
- वधियक पर अंतिम नरिणय नरिवाचति वधियक का होता है तथा राज्यपाल का संदेश उन्हें सहमत होने के लयि बाध्य नहीं करता है । अर्थात् एक बार जब [सदन लौटाए गए वधियक को संशोधन के साथ अथवा बनिा संशोधन के दोबारा पारति कर देता है तो राज्यपाल के पास सहमत देने के अतरिकित कौई वकिल्प नहीं होता है](#) ।
- कसिी वधियक को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार नरिवाचति वधियक के पास है एवं राज्यपाल का संदेश वधियक को बाध्य नहीं करता है ।

## वधियकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं?

- **अनुच्छेद 200:**
  - भारतीय संवधान का अनुच्छेद 200 कसिी राज्य की वधियक द्वारा पारति वधियक को सहमत के लयि राज्यपाल के समकष प्रस्तुत करने की प्रकरयि को रेखांकित करता है, जो या तो सहमत दे सकता है, सहमत को रोक सकता है या राष्ट्रपति द्वारा वचिर के लयि वधियक को आरकषति कर सकता है ।
  - राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्वचिर का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ वधियक को वापस भी कर सकता है ।
- **अनुच्छेद 201:**
  - इसमें कहा गया है कजिब कौई वधियक राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरकषति होता है, तो राष्ट्रपति वधियक पर सहमत दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है ।
  - राष्ट्रपति वधियक पर पुनर्वचिर करने के लयि राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के वधियक के सदनों को वापस भेजने का नरिदेश भी दे सकता है ।

### ■ राज्यपाल के पास उपलब्ध वकिलप:

- वह राष्ट्रपति के विचार हेतु विधायक को आरक्षण कर सकता है। आरक्षण अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालाँकि राज्यपाल विधायक को आरक्षण भी कर सकता है यदि यह नमिनलिखित प्रकृति का हो:
- एक अन्य वकिलप सहमति को रोकना है, लेकिन ऐसा सामान्य रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक अत्यंत अलोकप्रिय कार्यवाही होगी।
  - संविधान के प्रावधानों के खिलाफ
  - **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP)** का विरोध
  - देश के व्यापक हित के खिलाफ
  - गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का
  - संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
- वह सहमति दे सकता है या विधायक के कुछ प्रावधानों या विधायक पर स्वयं पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए इसे विधानसभा को वापस भेज सकता है।

## क्या राज्यपाल विधायकों की शक्तियों का प्रयोग कर किसी विधायक पर सहमति रोक सकता है?

- जबकि **अनुच्छेद 200** को पढ़ने से पता चलता है कि राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकता है, विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या वह केवल मंत्रपरिषद की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है।
- संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग **अनुच्छेद 154 के तहत मंत्रपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।**
- बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा द्वारा विधायक पारित होने पर राज्यपाल को सहमति रोकने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये।

## लंबित विधायकों से जुड़ी समस्याएँ क्या हैं?

- **नरिणय लेने में देरी:**
  - विधायिका द्वारा पारित विधायकों पर नरिणय लेने में राज्यपाल की **वफिलता से नरिणय लेने में देरी होती है**, जो राज्य सरकार के प्रभावी कार्यकरण को प्रभावित करती है।
  - जब राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधायक पर नरिणय लेने में वफिल रहता है, तो **इससे नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन में देरी होती है।**
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना:**
  - राज्यपाल, जसि केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, राजनीतिक कारणों से राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधायकों को वलिंबित या असवीकार करने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।
- **लोक धारणा:**
  - आम लोग प्रायः राज्यपाल के पास लंबित विधायकों को राज्य सरकार की अक्षमता या उसके भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में देखते हैं, जो सरकार की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकता है।
- **उत्तरदायित्व की कमी:**
  - राज्यपाल अपनी सहमति रोकने के नरिणय का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
  - उत्तरदायित्व की यह कमी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कमजोर करती है।

# Governor

## Eligibility Criteria

- Must be a **citizen of India**
- At least **35 years** of age
- Must **not be a member of (either) house** of Parliament/State Legislature
- Must not hold any **office of profit**

## Appointment and Tenure (Part VI)

- Appointed by President (**Article 153**)
- One person can be appointed as Governor for **2+ States (7th Const. Amendment in 1956)**
- Holds the office at the **Pleasure of the President** (maximum **5 years**)

## Powers (Part VI)

- Article 161: **Pardoning powers**
- Article 164: Power to **appoint the CM and other Ministers**
- Article 176: **Special Address** by Governor
- Article 200: Power to **(withhold) assent/reserve a bill** (Legislative Assembly)
- Article 213: Power to **promulgate Ordinances**

## 'Dual Capacity'

- **Constitutional head of the state** and **Representative of the Union government**

## Ending Tenure before 5 Years

- **Dismissal by President** (on advice of the Council of Ministers headed by PM)
  - Dismissal of governors without a valid reason is not permitted
- On grounds of **acts upheld by courts as unconstitutional** and malafide
- **Resignation** by the governor

## Responsibilities

- **Appoints** – CM, other Ministers, Advocate General of State, Members of State PSC, judges of HC and districts
- Act as **ex-officio chancellor** of state Universities

## आगे की राह

- राज्यपालों को **अनुच्छेद 200 के दशा-नरिदेशों** का पालन करना चाहिये, वधियकों के वषिय में अपनी चत्ताओं को तुरंत बताना चाहिये और उन्हें

पुनर्विचार के लिये राज्य विधानसभा को वापस भेजना चाहिये। यह एक उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और विधानसभा के अधिकार का सम्मान करता है।

- स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शी प्रक्रियाएँ गलतफहमी से बचने में मदद कर सकती हैं। किसी विधियक पर सहमति रोकते समय राज्यपालों को अपने नरिणयों के लिये जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी तरक प्रदान करना चाहिये।
- विधीय प्रक्रिया में राज्यपालों की भूमिका पर नरितर चर्चा और कानूनी स्पष्टता प्रक्रियाओं को और भी अधिक सुव्यवस्थित कर सकती है तथा संभावित संघर्षों से बच सकती है।

कानूनी अंतरदृष्टि: [COI का अनुच्छेद 200](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. प्नमिनलखिति में से कौन-सी कसिी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपतको राष्ट्रपतशासन अधरिीपति करने के लिये रपिीरट भेजना।
2. मंत्रियों की नयुिक्ता करना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारति कतपिय विधियकों को भारत के राष्ट्रपतके वचिर के लिये आरकषति करना।
3. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नयिम बनाना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने वविक की आवश्यकता वाले कार्यों को छोड़कर अपने कार्यों को मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कसिी राज्य का राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपतशासन लगाने की सफिरशि करते हुए भारत के राष्ट्रपतको एक रपिीरट भेज सकता है। यह राज्यपाल को प्रदत्त एक वविकाधीन शक्ति है। **अतः 1 सही है।**
- वह मुख्यमंत्री (CM) और अन्य मंत्रियों की नयुिक्ता करता है। वे उसकी इच्छानुसार पद पर भी बने रहते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नयुिक्ता राज्यपाल के वविक पर नहीं होती है। वह केवल औपचारिक रूप से नयुिक्ताको मंजूरी देता है। वविक मुख्यमंत्री के अधीन आता है **अतः 2 सही नहीं है।**
- राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारति कृष विधियकों को राष्ट्रपतके वचिर के लिये आरकषति कर सकता है। एक मामले में ऐसा आरकषण अनविर्य है, अर्थात् जहाँ राज्य विधायिका द्वारा पारति विधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थतिको खतरे में डालता है। इसके अलावा राज्यपाल विधियक को आरकषति भी कर सकता है यदयिह संविधान के प्रावधानों के खलिाफ है, राज्य के नीतनिदिशक सिद्धिांतों के वपिरीत है, देश के व्यापक हति के खलिाफ है, गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का है आदि। **अतः 3 सही है।**
- वह राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिकि सुवधिाजनक लेन-देन और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिये नयिम बनाता है। लेकिन यह शक्ति राज्यपाल के वविक के अधीन नहीं है। वह मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। **अतः 4 सही नहीं है।**
- **अतः वकिल्प (b) सही उत्तर है।**